<u>नये पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज</u>

पंजीयन संख्या तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक द्वारा पूर्ण रूप से भरे तथा हस्ताक्षरित आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य हैं। (निर्धारित प्रोफार्मा आर.एन.आई. वेबसाइट पर उपलब्ध है।) :-

1. संबंधित प्राधिकारी (डी एम/एस डी एम/डी सी पी/जे सी पी/सी एम एम आदि) द्वारा विधिवत (कार्यालयी मोहर, हस्ताक्षर तथा दिनांक सहित) अधिप्रमाणित घोषणापत्र (मूल अथवा प्रत्येक पृष्ठ पर राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा सत्यापित फोटो कॉपी के साथ) होना चाहिए। <u>यदि आर.एन.आई. में दस्तावेज जमा करते समय फोटोप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया हो तो स्वप्रमाणित फोटो प्रति स्वीकार की जा सकती है।</u>

नोट: 1. यदि प्रकाशक एवं मुद्रक अलग-अलग व्यक्ति हैं तो दोनों से अलग-अलग घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

नोट: 2. यदि प्रकाशन स्थल तथा प्रिंटिंग प्रेस अलग-अलग जिलों में है तो दोनों जिलों से अलग-अलग घोषणापत्र आवश्यक हैं।

2. पी.आर.बी. अधिनियम 1867 की धारा 5 (2बी) के अनुसार यदि समाचार पत्र-पत्रिका का स्वामी उसका प्रकाशक एवं मुद्रक नहीं है तो प्रकाशक एवं मुद्रक के पास स्वामी की ओर से दिया गया अधिकार पत्र होना चाहिए जिसमें उन्हें प्रकाशक एवं मुद्रक प्राधिकृत किया गया हो तथा घोषणापत्र देने के लिए भी प्राधिकृत किया गया हो। यदि स्वामी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कंपनी, ट्रस्ट सोसाइटी आदि हो, तो प्रकाशक एवं मुद्रक का घोषणा पत्र देने के लिए प्राधिकृत होनां जरूरी होगा।

3. आर.एन.आई. की वेबसाईट से डाउनलोड की गई शीर्षक सत्यापन पत्र की प्रति।

4. प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित एवं नोटरीकृत शपथ पत्र 'डी' (कोई विदेशी गठबंधन नहीं है) की मूल प्रति। (शपथ पत्र 'डी' का प्रारूप आर.एन.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध है) लेकिन अगर स्वामी का कोई विदेशी गठबंधन है तो ऐसी स्थिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अनुमोदन तथा संबंधित शपथ पत्र अर्थात् शपथ पत्र 'ए', शपथ पत्र 'बी' अथवा शपथ पत्र 'सी' विदेशी गठबंधन की योगदान की मात्रा के आधार पर प्रस्तुत करना होगा। (इन शपथ पत्रों का प्रारूप आर.एन.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।)

5. प्रकाशक तथा प्रेस के स्वामी के मध्य किया गया करार/अनुबंध (मूल अथवा उसकी सत्यापित फोटो कॉपी) या तो स्टांप पेपर पर अथवा सादे कागज़ पर (जो प्रकाशक/स्वामी और प्रिंटिंग प्रेस के कीपर अथवा स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित हो) और इसके साथ पी आर बी अधिनियम, 1867 की धारा 4 के अंतर्गत डी.एम./एस.डी.एम. के समक्ष प्रिंटिंग प्रेस घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति भी संलग्न करें। (प्रकाशन के स्वामी/प्रकाशक तथा प्रिंटींग प्रेस के बीच करार का प्रारूप आर.एन.आई. की वेबसाईट पर उपलब्ध है।)

6. निर्धारित समयावधि के दौरान प्रकाशित समाचार पत्र का प्रथम अंक जिसे घोषणा के अधिप्रमाणन के बाद छापा गया हो और जिसमें वर्ष-1, अंक-1 अंकित हो। कृपया पंजीकरण के लिए आवेदन के समय का नवीनतम अंक भी संलग्न कर दें।

I. पी.आर.बी. अधिनियम 1867 की धारा 5(5) के अनुसार यदि पत्र/पत्रिका की आवधिकता दैनिक अथवा साप्ताहिक है तो खंड/वर्ष-1, अंक-1 को घोषणा के प्रमाणन के 42 दिनों के भीतर प्रकाशित हो जाना चाहिए यदि आवधिकता पाक्षिक अथवा उससे अधिक है ता खंड/वर्ष-1, अंक-1 90 दिनों के भीतर प्रकाशित हो जाना चाहिए। यदि खंड-1, अंक-1 निर्धारित समयावधि के दौरान प्रकाशित नहीं होता है तो

संशोधित घोषणापत्र दाखिल करना होगा तथा संशोधित घोषणापत्र के प्रमाणन की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर खंड-1, अंक-1 प्रकाशित करना होगा।

II. पत्र-पत्रिका का मुद्रण घोषणा में दिए गए प्रेस से किया जाना चाहिए तथा उसमें प्राथमिक रूप से समाचार/विचार/लेख आदि शामिल होने चाहिए। द्विभाषी/बहुभाषी पत्र-पत्रिकाओं के मामले में समाचार/विचार/लेख आदि प्रकाशन के सभी संबंधित भाषाओं में प्रकाशित होने चाहिए।

III. शीर्षक की विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए उसे किसी अन्य शीर्षक से मिलता जुलता/नकल किया हुआ नहीं होना चाहिए। पत्र-पत्रिकाओं के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर छापे जाने वाले मास्टहेड में शीर्षक को उसी तरह प्रदर्शित करना चाहिए जैसा वह सत्यापित किया गया है मास्टहेड पर शीर्षक के फोंट/अक्षरों के आकार में एकरूपता होनी चाहिए। फोंट/अक्षरों के आकार में अंतर 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। शीर्षक का प्रदर्शन ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज रूप में यानी खड़े या पड़े तरीके से होना चाहिए। द्विभाषी/बहुभाषी पत्र-पत्रिकाओं के मामले में शीर्षक मास्टहेड पर प्रकाशन की किसी एक भाषा में होना चाहिए। अगर सत्यापित शीर्षक में दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आदि नहीं है तो मास्टहेड पर शीर्षक के साथ उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। यदि मास्टहेड में शीर्षक अंग्रेजी अथवा हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है तो उसे हिंदी/अंग्रेजी में भी लिखा जाना चाहिए। (उसे सत्यापन के अनुरूप होना चाहिए मगर अनुवादित नहीं होना चाहिए और वह छोटे फोंट में भी हो सकता है।)

IV. मास्टहेड में डेट लाइन होनी चाहिए जिसमें खण्ड एवं अंक संख्या, तारीख/महीना/वर्ष, आवधिकता, मूल्य एवं प्रकाशन का स्थान पत्र-पत्रिका की भाषा में और अगर पत्र-पत्रिका अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है तो शीर्षक अंग्रेजी/हिंदी में भी होना चाहिए।

V. पत्र-पत्रिका के प्रत्येक पृष्ठ पर शीर्षक, पृष्ठ सं. तथा तारीख/महीना/वर्ष प्रदर्शित होना चाहिए।

VI. इंप्रिंट लाइन इस तरह छापी जानी चाहिए जिससे उसे आसानी से पढ़ा जा सके। (स्वामी) .... के लिए .... द्वारा मुद्रित और .... द्वारा प्रकाशित .... तथा .... (प्रिंटिंग प्रेस का नाम एवं पूरा पता) से मुद्रित और .... (प्रकाशन स्थल का पूरा पता) से प्रकाशित, संपादक ....।

नोट-1 अंग्रेजी अथवा हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में छपने वाली पत्र-पत्रिका के मामले में संदर्भ हेतु इंप्रिंट लाइन अंग्रेजी/हिंदी में भी होनी चाहिए जिसके फोंट का आकार छोटा हो सकता हैं।

नोट-2 इंप्रिंट लाइन में संपादक का नाम वही होना चाहिए जैसा घोषणापत्र में वर्णित है। प्रमुख संपादक, उप संपादक,मुख्य संपादक, निवासी संपादक आदि का उल्लेख इंप्रिंट लाइन के भाग के रूप में नहीं होना चाहिए।

नोट-3 पी.आर.बी. अधिनियम 1867 की धारा 3 के अनुसार इंप्रिंट लाइन आसानी से पढ़ने योग्य होनी चाहिए। इसलिए इंप्रिंट लाइन के फोंट उपयुक्त आकार के हों और इसे ऐसे स्थान पर छापा जाए जहां ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इंप्रिंट लाइन के लिए यद्यपि कोई स्थान निर्धारित नहीं है फिर भी जहां तक मुमकिन हो उसे पृष्ठ 3 के नीचे अथवा पत्र-पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर छापा जाना चाहिए
ताकि उसे आसानी से देखा जा सके।

....